मध्यप्रदेश शासन

कमल नाथ सरकार का एक वर्ष

तेज कदमों से तरक्की की ओर बढ़ता

मध्यप्रदेश

''एक साल पहले आज ही के दिन हमने सभी वर्गों के लोगों को साथ लेकर चलते हुये उनके जीवन को बेहतर और समर्थ बनाने तथा प्रदेश के हर क्षेत्र के समेकित विकास का संकल्प लिया था। यह मात्र रस्मी संकल्प नहीं था, बल्कि असीमित संभावनाओं के धनी प्रदेश के विकास को वास्तविक अर्थों में संभव बनाने का और इस प्रदेश के प्रति मेरी भावनाओं से प्रेरित एक दृढ़ निश्चय था।

मध्यप्रदेश विपुल संसाधनों का प्रदेश है और उसी अनुपात में मध्यप्रदेश का विकास हमारा लक्ष्य है। इस दिशा में रणनीतिक योजनाएं बनाकर प्रयास किये जा रहे हैं, जिनका परिणाम अब हर क्षेत्र में दिखने लगा है। आने वाला समय उम्मीदें पूरी करने वाला है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मध्यप्रदेश अपनी विकास यात्रा में पीछे मुड़कर नहीं देखेगा।''

कमल नाथ
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

एक वर्ष में 365 वचन पूर्ण

कृषि

- 'जय किसान फसल ऋण माफी योजना' के अंतर्गत 20 लाख से अधिक किसानों के ऋण माफ।
- मण्डियों में एक साथ ई-अनुज्ञा ऑनलाइन प्रणाली।
- इंदिरा किसान ज्योति योजना में 10 हॉर्स पॉवर तक के कृषि पंपों के लिये आधी दर पर बिजली उपलब्ध।
- किसान परिवार की कन्याओं के विवाह के लिए कृषक कन्या विवाह सहायता योजना प्रारंभ। इसमें 51,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के लिए 2.5 एकड़ तक पात्रता।

बिजली

- **इंदिरा किसान ज्योति योजना** में अब आधी दर पर बिजली उपलब्ध। इससे लगभग 20 लाख किसान लाभान्वित।
- **इंदिरा गृह ज्योति योजना** – घरेलू उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट तक की खपत पर 100 रुपये प्रति माह में बिजली उपलब्ध।
- घरेलू उपभोक्ताओं तथा लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति।
- बिजली संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिये 1912 कॉल सेंटर की सेवाएँ।

उच्च शिक्षा

- सभी शासकीय महाविद्यालयों को भूमि का स्वामित्व देकर अगले 30 वर्ष की विकास योजना तैयार करने का 'भूमि सुरक्षा अभियान'।
- कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन के सहयोग से अंग्रेजी भाषा का विशेष प्रशिक्षण प्रारंभ।
- IIT व IIM के उच्च श्रेणी के प्राध्यापक पहली बार नवाचार हेतु उच्च शिक्षा परिषद में शामिल।
- विदेश में उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के अर्हकारी अंक और परिवार की आय सीमा को कम किया गया।
- पीएससी से चयनित 3148 प्राध्यापकों व अन्य की नियुक्ति में

आदिवासी समाज

- वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत 8,683 दावों का निराकरण।
- आकांक्षा योजना में विद्यार्थियों को JEE, NEET, CLAT की प्रवेश परीक्षा की तैयारी पर 14 करोड़ 50 लाख रुपये व्यय।
- बालिकाओं की शिक्षा एवं साक्षरता वृद्धि के लिए 82 कन्या शिक्षा परिसर संचालित।
- मुख्यमंत्री मदद योजना में जन्म एवं मृत्यु के अवसर पर प्रति जन्म 50 किलोग्राम गेहूँ/चावल एवं प्रति मृत्यु पर 100 किलोग्राम अनाज गेहूँ/चावल का वितरण।
- आदिवासी समुदाय के देवस्थानों के संरक्षण के लिए आष्ठान योजना।
- तेंदूपत्ता श्रमिकों की मजदूरी की दरों में वृद्धि। मजदूरी और बोनस का हो रहा है नकद भुगतान।

पिछड़ा वर्ग

- पिछड़ा वर्ग हेतु शासकीय सेवाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण लागू।
- पिछड़ा वर्ग के परंपरागत कुटीर, हस्तशिल्प, हाथकरघा के उत्पाद जीएसटी से मुक्त।

उद्योग

- निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए औद्योगिक नीति में महत्वपूर्ण संशोधन। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास के लिये नई एमएसएमई विकास नीति एवं स्टार्ट अप नीति 2019 लागू।
- फौलखूम, फार्मास्युटिकल एवं रेडिमेड गारमेंट के लिए विशेष पैकेज।
- तकनीकी विकास को प्रोत्साहन देने के लिए मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन फण्ड की स्थापना।
- निजी भूमि अर्जन के लिये लैण्ड पूलिंग पॉलिसी लागू की गई।
- मैग्नीफिसेंट मध्यप्रदेश-2019 का इन्दौर में सफल आयोजन।

युवा

- मध्यप्रदेश में स्थापित होने वाले उद्योगों में 70 प्रतिशत रोजगार स्थानीय युवाओं को देना अनिवार्य।
- प्रदेश के आईटीआई, पॉलीटेक्निक तथा इंजीनियरिंग कॉलेजों से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को ग्लोबल स्किल्स पार्क भोपाल कैंपस में प्रिसीजन इंजीनियरिंग कोर्स में प्रशिक्षण।
- शहरी बेरोजगार युवाओं को 100 दिन के रोजगार के साथ-साथ कौशल प्रशिक्षण के लिये मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना।
- प्रतिभावान खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि एवं खेल संघों की अनुदान राशि में वृद्धि।
- खिलाड़ियों के उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम।
- खेल अकादमी एवं प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को चिकित्सा और दुर्घटना जीवन बीमा की सुविधा।
- स्वरोजगार मूलक योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगारों के लिए पृथक से लक्ष्य।

महिला सशक्तिकरण

- लाड़ली लक्ष्मी योजना में 3 लाख 20 हजार 289 नई बालिकाओं का पंजीयन।
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना की अनुदान राशि 28 हजार रुपये से बढ़ाकर 51 हजार रुपये।
- वृद्धावस्था और विधवा पेंशन राशि 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिमाह।
- प्रदेश की 202 आशा कार्यकर्ताओं को उसी ब्लॉक में एएनएम के पद पर नियुक्ति।
- प्रदेश की 9411 महिलाओं को राजमिस्त्री का प्रशिक्षण।
- एकीकृत महिला हेल्पलाइन 181 की सेवाएँ प्रारंभ।
- कन्या शैक्षणिक संस्थानों तथा महिला कामकाजी क्षेत्रों को